



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 271 राँची, सोमवार,

13 जून, 2022 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

13 जून 2022 ज्येष्ठ 23 1944 (शक)

सं. 479/3/2022(I):- राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उप धारा (1) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, महासचिव राज्य सभा, संसद भवन, नई दिल्ली को, राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के लिए एतद्वारा रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया,
वरिष्ठ प्रधान सचिव

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION13th June, 2022 Jyaistha 23, 1944 (Saka)

No. 479/3/2022(I) – In pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India, in consultation with the Central Government, hereby appoints the Secretary General to the Rajya Sabha, Parliament House, New Delhi, to be the Returning Officer for the Presidential Election, 2022.

By Order

NARENDRA N. BUTOLIA,
SR. PRINCIPAL SECRETARY